IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 19, May 2023

स्वातन्त्र्योत्तर काल में भारतीय प्रशासनिक पुलिस की भूमिका

नागेन्द्र प्रताप सिंह
शोधार्थी, शास. ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
डॉ. महानन्द द्विवेदी
प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, शास. शहीद केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)

शोध–सारांश

स्वतन्त्रता के बाद भारतीय प्रशासन के स्वरूप में आमूल–चूल परिवर्तन आया है। 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत में लोकतन्त्र, विकास और समाजवाद के लिए लोक प्रशासन युग की शुरुआत हुई है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय प्रशासन को नए और विशिष्ट महत्व के कार्यों के सम्पादन की चुनौती स्वीकार करनी पड़ी। 26 नवम्बर, 1949 को संविधान निर्मात्री सभा ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया। जो प्रशासन औपनिवेशिक शोषण और दमन का यन्त्र था वह अब सम्प्रभु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र का सेवक बन गया। सम्प्रभु लोकतान्त्रिक गणतन्त्र की मूर्तिमान संस्था का रूप संसद ने ग्रहण किया जो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन से गठित की गयी। इस हेतु पूर्व में व्यवस्था को कानून के परिपालन और जनता के बीच तादात्मय स्थापित करने हेतु प्रशासनिक इकाई के एक रूप में कार्य कर रही पुलिस इकाई को नये अधिकार और कर्तव्य दिये गये। लोक प्रशासन को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। संवैधानिक लोकतन्त्र को सुव्यवस्थित बनाये रखने के लिए पुलिस की अहम भूमिकाओं का अध्ययन शोध पत्र में शामिल किया गया है।

मुख्य शब्द: स्वातन्त्रयोत्तर, काल, भारतीय, प्रशासन, भूमिका, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पुलिस आदि।

प्रस्तावना:

अब लोक प्रशासन का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए हो गया। ब्रिटिश राज में जहां प्रशासन पुलिस राज्य का यन्त्र था वह अब जनकल्याणकारी राज्य का उपकरण हो गया। राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में कहा गया है कि ''राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक प्रभावी रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक–कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा ।'' (अनुच्छेद 38–भारत का संविधान) दिसम्बर, 1954 में संसद ने समाजवादी समाज की स्थापना का लक्ष्य घोषित किया और अब प्रशासन समाजवादी समाज की स्थापना करने वाला उपकरण वन गया है। अव प्रशासन का कार्य है– पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, धन और उत्पादन का अहितकारी संकेन्द्रण रोकना, ग्राम–पंचायतों का संगठन करना, सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से दुर्बल वर्गों की रक्षा करना, कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करना, आदि–आदि। अब प्रशासन कानून और व्यवस्था मात्र बनाने वाला उपकरण नहीं है अपितु जनकल्याण और आर्थिक विकास का अभिकर्ता है। विभिन्न पंचवर्षीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व प्रशासन के कन्धों पर डालकर उसे अपने मालिकों के सामाजिक–आर्थिक विकास का वाहक बना दिया गया है। अब लोक प्रशासन आर्थिक एवं औद्योगिक गतिविधियों में भाग लेने लगा, ग्रामीण विकास और गांवों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की गति को तीव्र विस्तार सेवाओं के माध्यम से गांवों में जागृति लाने का कार्य लोक प्रशासन को ही करना था। पंचायत की स्थापना से अधिकारियों को निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ–साथ काम करने की आदत विकसित करनी पड़ी। राजस्व प्रशासन के साथ विकास प्रशासन का मिश्रण किया गया। कलेक्टर और तहसीलदार राजस्व के साथ–साथ विकास प्रशासन के क्रियान्वयन के आधार स्तम्भ बन गए। नए–नए तकनीकी विभागों जैसे, कृषि अनुसन्धान और शिक्षा विभाग, दूर संचार विभाग, परिवार कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, विनिवेश विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रालय की स्थापना की गयी। सरकारी सेवाओं में सामान्यज्ञों के बजाय विशेषज्ञों के सैकड़ों पद सृजित हुए और औपनिवेशिक चरित्र वाला प्रशासन लोकतान्त्रिक प्रशासन में रूपान्तरित होने लगा। आज लोक प्रशासन में प्रक्रियात्मक सुधार एवं प्रशासको सभी स्तरों पर प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया जाने लगा है।

आधुनिक युग में अधिकांश देश कल्याणकारी राज्य का दर्जा पा चुके हैं, जिनका उद्देश्य धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग तथा आयु के बीच भेदभाव रहित व्यवस्था की स्थापना करना है, जहां मानव को उनके मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय व सुरक्षा की

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 19, May 2023

प्राप्ति हो। इस कार्य में पुलिस की भूमिका उल्लेखनीय है, जो कानून व व्यवस्था का सम्मान करने वालों तथा उसे तोड़ने वालों के बीच भेद करके कल्याण राज्य की उद्देश्य पूर्ति में अहम् भूमिका निभाती है।

पण्डित नेहरू ने कहा था कि "किसी राज्य को हम एक कल्याणकारी राज्य तभी कह सकते हैं, जब उस पर कुछ समर्थ और संपन्न लोगों का ही अधिकार न हो, बल्कि जिसका उद्देश्य सभी वर्गों और खासतौर से दुर्बल वर्गों को अपना विकास करने तथा उन्हें अधिकतम सामाजिक, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना हो ।" महात्मा गांधी ने भी कल्याणकारी राज्य के बारे में अपने विचार स्पष्ट करते हुए कहा था कि "केवल वही राज्य एक कल्याणकारी राज्य हो सकता है, जो पूरे समुदाय के कल्याण में योगदान करने वाली सेवाओं और कार्यों की व्यवस्था कर सकता हो। यह वह राज्य है जिसमें कानून और कानूनों को लागू करने वाले लोग जन साधारण के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना अपना सर्वोपरि उद्देश्य मानते हैं। 'संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में यह उल्लेख है कि "राज्य एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करके जन कल्याण में वृद्धि करने का प्रयत्न करेगा, जिससे राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं द्वारा लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके।' न्यायाधीश दागला ने कहा था कि एक कल्याण राज्य वह है, जिसका व्यावहारिक उद्देश्य नागरिकों को प्राप्त स्वतंत्रता का न्यायिक ढंग से उपभोग करने के अवसर प्रदान करना है।" कल्याण राज्य की इसी अवधारणा के संदर्भ में "पुलिस की वर्तमान भूमिका किस सीमा तक कल्याणकारी राज्य के अनुकूल है', इसका मूल्यांकन किया जा सकता है ।

पुलिस से तात्पर्य : अंग्रेजी का शब्द पुलिस (Police) ग्रीक शब्द (Polis) से बना है, जिसका अर्थ है–रक्षा करने वाला। अर्थात् पुलिस का तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है, जिसका काम सामान्य व्यक्तियों के जनजीवन की रक्षा करना है। यह तभी संभव है, जब पुलिस को एक ऐसे संगठन के रूप में समझा जाए, जो राज्य के कानूनों को लागू करने में प्रशासन की मदद करता है, अपराध मुक्त समाज के निर्माण हेतु सदैव प्रयासरत् है, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है तथा प्राकृतिक व मनुष्य जन्य आपदाओं से जूझने में आम इंसान की सदैव सहायता करता है। विभिन्न विधिवेताओं व समाजशास्त्रियों ने पुलिस की अवधारणा को स्पष्ट किया है। सदरलैण्ड एवं क्रेसी के अनुसार " पुलिस शब्द प्राथमिक रूप से राज्य के उन प्रतिनिधियों की ओर संकेत करता है, जिनका कार्य कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना एवं देश की नियमित आपराधिक संहिता को लागू करना है।'' अर्थात् स्थानीय प्रशासन का मौलिक कार्य कानून व व्यवस्था को बनाए रखना है, जो पुलिस की सहायता के बिना संभव नहीं है, इसलिए पुलिस को अपराधी नियमों को लागू करने वाले प्राथमिक संगठन के रूप में देखा जाता है। **एन.वी.परांजपे** के अनुसार–"पुलिस आपराधिक न्याय व्यवस्था से संबंधित एक तंत्र है, जिसका कार्य लोगों के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा उन्हें हिंसा, उत्पीड़न, शोषण और अव्यवस्था से बचाना है। 'अर्थात् पुलिस को एक ऐसा संगठन माना जा सकता है जो "कानून व्यवस्था द्वारा सामाजिक शांति व समाज की सुरक्षा हेतु प्रतिबद्ध है तथा लोगों की रक्षा करने व उन्हें हिंसा, शोषण, उत्पीड़न से बचाने हेतु प्रतिबद्ध है। न्याय व्यवस्था की धुरी पुलिस है जिसके बिना न्यायालय व प्रशासन अपंग है ।

पुलिस की संरचना – भारतीय संविधान के अनुसार पुलिस–संगठन राज्यों का विषय है। फलस्वरूप प्रत्येक राज्य का यह दायित्व है कि वह अपने अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए पुलिस को संगठित करे। वहीं संविधान के अनुच्छेद 355 में यह व्यवस्था की गई कि राज्यों की सहायता हेतु केंद्र सरकार द्वारा भी एक बल की स्थापना की जाए जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के नाम से जाना जाता है। यद्यपि राज्यों का विषय होने के कारण विभिन्न राज्यों में पुलिस के संरचनात्मक संगठन में अंतर पाया जाता है, किंतु अधिकांश राज्यों में पुलिस के संस्तरण तथा उनकी कार्य पद्धति लगभग एक जैसी है।

भारत में पुलिस का वर्गीकरण नागरिक पुलिस व सशस्त्र पुलिस बल के रूप में किया जाता है। कार्य की प्रकृति और क्षेत्र के आधार पर पुलिस को छः मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है :–

(1) सामान्य पुलिस (2) यातायात पुलिस (3) गुप्तचर पुलिस (4) रेलवे पुलिस (5) स्त्री पुलिस तथा (6) केंद्रीय रिजर्व पुलिस। हाल में सरकार ने बड़े–बड़े औद्योगिक संस्थानों को अपराध व आतंक की घटनाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ''केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल" का भी गठन किया है।

पुलिस की भूमिका – कानून और व्यवस्था को बनाए रखकर कल्याणकारी राज्य के स्थायित्व में पुलिस की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक समाज में अपराधों को रोकने तथा कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को पकड़कर न्यायालय में प्रस्तुत करना पुलिस का मुख्य कार्य है। अर्थात् कानून का पालन करने की बाध्यता लोगों में पुलिस के भय से ही उपजती है और यही भय उन्हें अपराध करने से रोककर राज्य में अमन चैन कायम रखने में मुख्य भूमिका निभाता है। अतः बार्न्स तथा टीटर्स ने पुलिस को "सुरक्षा की प्रथम पंक्ति'' के नाम से संबोधित किया है। किसी भी समाज की संरचना में उतार–चढ़ाव व जटिलताएं लोगों के संबंधों में हित प्रधान व औपचारिक भावों को बढ़ावा देती हैं। संबंधों की औपचारिकता के कारण कानून के उल्लंघन के तरीकों में भी परिवर्तन होता रहता है, जिससे निपटने के लिए पुलिस बल को समय–समय पर प्रशिक्षित करके, नए तरीकों का उपयोग करके कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाया जाता है। क्योंकि कानून और व्यवस्था को बनाए रखना एक कठिन

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 19, May 2023

कार्य है ।

प्रशासनिक कार्य – पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय प्रशासन को सहायता देकर प्रशासनिक आदेशों का जनता द्वारा परिपालन को सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक जीवन में शांति बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति व औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना, समाज के प्रमुख व्यक्तियों, बड़े नेताओं आदि की हिफाज़त करना यातायात व्यवस्था सुचारू रखना, विदेशी एजेंटों द्वारा की जाने वाली जासूसी को रोकना, रात के समय, नागरिक बस्तियों में गश्त लगाना व आपसी संघर्ष की घटनाओं को रोकना आदि पुलिस के प्रशासनिक कार्य है। टैफ्ट ने लिखा है– "वर्तमान समय में प्रभावकारी पुलिस की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। सामाजिक संबंधों की जटिलता, बड़े शहरों का विकास तथा घातक हथियारों के प्रसार, अपराधियों के बड़े–बड़े संगठन, यातायात में होने वाली वृद्धि, अपराधी क्षेत्रों के विकास तथा अपराध के नए–नए तरीकों के कारण एक ऐसी पुलिस की आवश्यकता बढ़ गई है। जो अधिक सक्षम व प्रशिक्षित हो ।" (जबकि सच तो ये है कि पुलिस की सक्षमता बढ़ाने हेतु बेहतर सुविधाओं, हथियारों, टेक्नीक ट्रेनिंग की आवश्यकता है।) अपराध कर्मों में संलग्न व्यक्तियों को वारंट या बिना वारंट के हिरासत में लेकर न्याय के लिए सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना तथा संदेह पूर्ण व्यक्ति की तलाशी व पूछताछ पुलिस का महत्वपूर्ण कार्य है।

आपराधिक मामलों का अन्वेषण–समाज की जैसे–जैसे प्रगति होती है, वैसे–वैसे आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके अपराधी–तरीके जटिल व विशेषीकृत होते जाते हैं। जिनके निराकरण हेतु पुलिस को भी अपने तरीकों में बदलाव लाना पड़ता है। इसके लिए गुप्त सूचनाओं की प्राप्ति हेतु पुलिस अपना एक मुखबिर नेटवर्क तैयार करती है, जिससे अपराध होने से पहले उसे रोकने का प्रयत्न किया जा सके व अपराध की योजना बनाने वालों को सबूत समेत गिरफ्तार किया जा सके। स्वयं पुलिस में विशेष रूप से प्रशिक्षित लोग अपराधी गिरोहों के बीच रहकर उनकी गतिविधियों व अपराध करने की उनके द्वारा अपनाई जाने वाली विधियों का पता लगाते हैं, जो जान जोखिम में डालने वाला कार्य है। अपराध की जांच में अंगुलियों के निशानों का अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों तथा प्रशिक्षित कुत्तों की सहायता ली जाती है, जो पुलिस का महत्वपूर्ण अपराध निवारक कार्य है। संदेहास्पद व्यक्तियों को हिरासत में लेकर अपराध को होने से रोकना तथा आपराधिक कानूनों का पालन करवाना पुलिस के प्रमुख कार्यों में शामिल है।

कल्याणकारी कार्य – वर्तमान में कल्याण राज्यों में पुलिस के कार्यों में सार्वजनिक कल्याण कार्यों को भी शामिल कर लिया गया है । यथा–खोए हुए व्यक्तियों का पता लगाना, बाल अपराधियों पर नियंत्रण, विकलांग जनों की सहायता तथा दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के उपचार की व्यवस्था, पकड़े गए बाल अपराधियों के पुनर्वास की व्यवस्था आदि। यदि पुलिस के कल्याणकारी कार्यों को श्रेणियों में बांटे तो जो मध्यप्रदेश में निम्नानुसार प्रस्तुत है –

(1) बच्चों के लिए : युनिसेफ व पुलिस के संयुक्त प्रयास से, बच्चों के मन से पुलिस की डरावनी छवि को दूर करने के उद्देश्य से "बाल–मित्र'' योजना चालू की गई, जिसे जनता व बच्चों का उचित प्रोत्साहन मिल रहा है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम पुलिस कर्मियों को बच्चों के प्रति ऐसे व्यवहार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे शोषित बच्चा थाने में आकर अपनी व्यथा बताने में हिचके नहीं। वहीं बच्चों को थाने ले जाकर उन्हें पुलिस की प्रक्रिया व कार्यों से अवगत कराया जाता है, ताकि उनके मन में पुलिस व थानों के प्रति समाया भय निकल सके। बच्चों के लिए "चाइल्ड लाइन'' नामक निःशुल्क फोन व्यवस्था चालू की गई है, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति या बच्चा स्वयं, किसी बच्चे पर होने वाले अत्याचार की न केवल शिकायत कर सकता है बल्कि अपनी संबंधित किसी समस्या का समाधान भी प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही लावारिस घूमने वाले, अनाथ या अपराध कर्मो, नशे आदि में लिप्त बच्चों के पुनर्वास की व्यवस्था कर संभावित अपराधियों को रोकने का कार्य भी आज पुलिस बखूबी निभा रही है। बच्चों में पुलिस के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से थाने स्तर पर बच्चों के लिए चित्रकला व निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्हें यातायात नियमों का ज्ञान व संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) स्त्रियों के लिए रू सामाजिक–पारिवारिक विघटन की बढ़ती दर तथा व्यक्तिवाद की प्रवृत्ति की बढ़त ने पुलिस के दायित्वों में वृद्धि की है, जिसे पुलिस द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है, परिणाम स्वरूप पुलिस आज एक कल्याणकारी भूमिका में दिखाई दे रही है। सदियों से चले आ रहे पुलिस थाने के भय को महिलाओं के दिल से निकालकर उन्हें अपनी पीड़ा और व्यथा का समाधान प्रदान करने हेतु ''महिला–थानों'' की स्थापना की गई है, जिसके अत्यंत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब महिलाएं न केवल अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए बल्कि स्वयं की सुरक्षा हेतु भी पुलिस का योगदान लेने बेझिझक आ रही हैं। वहीं पारिवारिक समस्याओं, घरेलू हिंसा जैसे अपराधों पर सकारात्मक नियंत्रण हेतु "परिवार परामर्श केंद्र'' स्थापित किए गए हैं, जो जिला स्तर पर चलाए जा रहे हैं। यहां सामाजिक कार्यकर्ता, वकील व मनोवैज्ञानिक की सहायता ली जाती है, पीड़ित व पीड़क पक्ष को समझाने में। महिलाओं पर अत्याचार के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कानून व न्यायालय तथा पुलिस का दबाव नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, अथवा प्रभावहीन साबित होते हैं। यहां परिवार में होने वाले छोटे–मोटे झगड़े, शराब पीकर मारपीट करने, दहेज हेतु सताने के ऐसे कई प्रकरण सलाह व परामर्श के द्वारा सुलझाए जाते हैं, जो आगे चलकर किसी अपराध

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 19, May 2023

का कारण बन सकते हैं। यदि पीड़ित महिला थाने आने में असमर्थ है तो वह स्वयं अथवा अपने किसी स्वजन के माध्यम से दूरभाव पर पुलिस थाने की "हेल्प लाइन सेवा'' का लाभ उठाते हुए पुलिस की सहायता प्राप्त कर सकती है। यह सेवा 24 घंटे उपलब्ध है, जिसके माध्यम से पुलिस सूचना मिलते ही पीड़ित महिला की सहायता के लिए पहुंच जाती है। वहीं शासन द्वारा महिलाओं के प्रकरण, जैसे–तलाक, भरण–पोषण अलगाव आदि समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु प्रदेश के सात जिलों में "कुटुम्ब न्यायालय'' स्थापित किए गए हैं। वहीं "जिला विधिक सहायता'', अधिकारियों के माध्यम से निःशुल्क कानूनी सहायता महिलाओं को उपलब्ध कराने का प्रावधान राज्य शासन की महिला नीति में किया गया है।

(3) समाज लिए जटिलता नगरीकरण के साथ–साथ बढ़ती जा रही है, वहीं धर्म–निरपेक्ष देश होने के कारण विभिन्न जाति, धर्म व विचारों के मानने वाले समाज में एक साथ रहते हैं, जिनके हित आपस में टकराकर छोटे विवादों को उपजाऊ भूमि मुहैया कराते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु शहरों में रहने वाले नागरिकों को एकजुट करके कुछ ऐसी "मोहल्ला सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है जो अपराधों की रोकथाम तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता करती है। इनके सदस्यों को परिचय पत्र प्रदान किया जाता है, तथा उनसे अपेक्षा की जाती है कि यह शहर में सौहादपूर्ण वातावरण व अमन चैन कायम रखने में पुलिस की सहायता करेंगे। जिम्मेदारी की गंभीरता को देखते हुए सदस्यों के चयन में सतर्कता बरतते हुए सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित व समाज पर प्रभाव रखने वाले ऐसे सच्चरित्र व्यक्ति चुने जाते हैं, जो स्वेच्छा से कार्य में जुड़े ताकि इनका व इनके व्यक्तित्व का पूर्ण लाभ पुलिस को कानून व्यवस्था के व्यवस्थापन में प्राप्त हो। वहीं सरकार की विकेंद्रीकरण व सत्ता जनता की भागीदारी की मूल भावना को पुष्ट करती है योजना –"आपकी पुलिस आपके पास''। जिसके अंतर्गत जनसमस्याओं का निराकरण मौके पर ही जन सहयोग के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है। इस हेतु पुलिस टीम जिले के ग्रामों में जाकर वहीं छोटे–छोटे जमीनी झगड़े, पारिवारिक विवाद व अन्य विवादों का निपटारा करती है। इसके लिए पुलिस टीम कार्य योजना बनाकर दिन निश्चित करती है, जिसका संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त प्रचार भी किया जाता है, ताकि अधिक से अधिक जनता योजना का लाभ प्राप्त कर सके। सामाजिक परिवेश की वहीं फरियादी अपनी बात रखने व उसे सिद्ध करने के पर्याप्त प्रबंध कर सके। गांव के पंच–सरपंच व प्रतिष्ठित नागरिकों का भी समस्याओं के समाधान में सहयोग लिया जाता है। इस योजना को जन सहयोग प्राप्त होने का एक प्रमुख कारण यह है कि कई ग्रामीण आर्थिक कारणों से व कई अशिक्षित होने के कारण भयवश जिले के न्यायालय या थाने में जाने का साहस नहीं जुटा पाते, जो भविष्य में हत्या व बलवे जैसे अपराधों का कारण बनते हैं। वहीं पुलिस को अपने समीप स्वयं आया देखकर उनका भय दूर होता है व समस्याओं को सामने रखकर वे उनका निराकरण करने में सफल होते हैं। पुलिस की इस योजना को हर वर्ग का सहयोग प्राप्त हो रहा है ।

जनता व पुलिस के बीच भयमुक्त संबंध बनाने व उनमें सामीप्य लाने हेतु पुलिस द्वारा किए जा रहे हल्के–फुल्के प्रयास अत्यंत सराहनीय है, जैसे– सार्वजनिक स्थानों पर पुलिस बैंड द्वारा जनता के मनोरंजन हेतु कार्यक्रम प्रस्तुत करना, जिनमें देश भक्ति गीतों के साथ प्रसिद्ध फिल्मी गीतों की धुनों का समन्वय होता है।

पुलिस के कल्याणकारी कार्यों का समाज पर प्रभाव स्पष्ट देखा जा रहा है, यथा– महिलाओं में अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों का खुलासा करने का साहस आया है, क्योंकि उसके लिए पुलिस थाना व महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध हैं। वहीं चाइल्ड लाइन के माध्यम से बाल–शोषण व लावारिस बच्चों के पुनर्वास की बहुत सी घटनाओं का निराकरण किया गया है। जमीनी विवाद व अन्य विवादों को "आपकी पुलिस–आपके पास" योजना के तहत निबटाकर भविष्य में होने वाले गंभीर अपराधों में कमी हो रही है। किंतु एक अरब चालीस करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले व विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश में समस्त समस्याओं का समाधान आसान नहीं है, वहीं पुलिस के मार्ग की बाधाएं उन्हें और दुरूह बनाती हैं।

पुलिस की कल्याणकारी भूमिका में बाधाएं पुलिस तंत्र अपना पूर्ण बल समाज में होने व हो सकने वाले अपराधों को रोकने, समाज के प्रत्येक सदस्य को सुरक्षा प्रदान करने व विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें समस्याओं से उबारने में लगा रहा है, फिर भी यदि जनता पुलिस को आतंक का पर्याय मानती है, तो उसके कारणों को ढूंढ़ना व उनका निराकरण करना प्रथम शर्त होनी चाहिए। भोपाल में मानव अधिकार दिवस पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. सी. लाहोटी ने माना कि–''मानव अधिकारों के उल्लंघन की सबसे ज्यादा शिकायतें पुलिस प्रशासन के खिलाफ आती हैं तो इसमें पुलिस की गलती नहीं, पुलिस संगठन जिस कानून के मुताबिक चल रहा है वह अंग्रेजों के जमाने का है। जरूरत इसमें बदलाव की है। पुलिस कर्मी कैसे हालात में काम करते हैं, वे ही जानते हैं। इसके अलावा जेल और न्याय व्यवस्था में भी बदलाव होना जरूरी है। 'मनोवैज्ञानिक कुमोदिनी शर्मा के अनुसार–'पुलिस अफसर तभी ठीक ढंग से लोगों की मदद कर पाएंगे, जब तनाव में नहीं रहेंगे। इसके लिए आसपास के माहौल और अपने व्यवहार को मधुर करना होगा।'

वेतन संबंधी–पुलिस कार्य दुरूह व कार्य के घंटे अनिश्चित होते हैं। अपराधों से लड़ने की प्रक्रिया के दौरान वे जोखिम का सामना करते हैं। इन सारी कठिनाइयों का उचित मुआवजा उन्हें वेतन के रूप में प्राप्त नहीं होता। आज एक सिपाही का वेतन उसके कार्य के अनुसार इतना पर्याप्त नहीं है कि वह अपने घर की आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त रहकर कार्य में ध्यान

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 19, May 2023

लगा सके। यही कारण है कि भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यदि कार्यानुरूप उचित वेतन भत्ते प्राप्त हों तो कोई कारण नहीं कि भ्रष्टाचार में कमी न आ सके या पुलिसकर्मी घर की चिंता से मुक्त हो कार्य न कर सके। पुलिस के भ्रष्टाचार मुक्त होने का फायदा यह होगा कि जनता को निष्पक्ष न्याय की संभावना प्रबल होगी व आम जनता का सहयोग व विश्वास पुलिस को प्राप्त होगा।

कार्यक्षमता संबंधी – पुलिस का संरचनात्मक संगठन मूल रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सन् 1861 में पारित होने वाले पुलिस एक्ट पर आधारित है। तथ्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पुलिस के ढांचे में सुधार लाने के लिए कई आयोग गठित किए गए, किंतु अपेक्षित परिणाम प्राप्त न हो सके। अर्थात् पुलिस की संरचना को सामाजिक सुरक्षा के एक साधन के रूप में इस प्रकार विकसित करना होगा कि आम जनता उसे अपने बीच का एक महत्वपूर्ण अंग माने। पुलिस की कार्य कुशलता में सुधार हेतु अत्यावाश्यक है कि उसे राजनीतिक दलों के दुष्प्रभाव से मुक्त रखा जाए। सरकार बदलने के साथ प्रायः राजनीतिक दल बदलते हैं, व प्रत्येक दल की विभिन्न रूचि, पसंद व हित होते हैं। जिनका पुलिस पर थोपा जाना, पुलिस कर्मियों, को दिग्भ्रमित करता है। जबकि पुलिस एक अलग तंत्र है, जिसका सीधा संबंध अपराध, अपराधी व समाज की सुरक्षा से हैं। अतः राजनीतिक दलों की सरकार में बदलने वाली भूमिका से पुलिस तंत्र को मुक्त रखना चाहिए। वहीं अपराधियों की धरपकड़ व उनके खिलाफ कार्रवाई को सामाजिक मुद्दा मानते हुए उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। क्योंकि जब मुश्किल से पकड़े गए जघन्य अपराधी को राजनेता अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर छुड़ा ले जाते हैं तो उन्हें पकड़ने में जान जोखिम में डालने वाले पुलिस कर्मी स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं व अवसाद तथा कुंठा का शिकार हो जाते हैं। पुलिस की निष्पक्ष छवि तो कलंकित होती ही है, पुलिस कर्मी का भी कार्य के प्रति मेहनत, ईमानदारी व आत्म विश्वास पर से भरोसा उठने लगता है, जिसके बारे में न जनता को कोई चिंता होती है न सरकार प्रभावशाली कदम उठाती है।

आपसी समन्वय संबंधी–विभिन्न पुलिस संगठनों, यथा–सामान्य पुलिस, रेलवे पुलिस, यातायात पुलिस के बीच उचित समन्वय होना आवश्यक है ताकि अपराधी उनकी पकड़ से बच न सकें। वहीं विभिन्न थानों के बीच कार्य क्षेत्र संबंधी मतभेद को मिटाना भी आवश्यक है, जिसका फायदा उठाकर कई बार अपराधी बच निकलते हैं। बल्कि उपस्थित पुलिस कर्मी को यह अधिकार देने चाहिए कि वह किसी थाने क्षेत्र का कर्मी बाद में है, पुलिस कर्मी पहले। अतः सामने पड़ने वाले अपराधी पर थाना क्षेत्र के बंधन से मुक्त होकर कार्रवाई कर सके, तत्पश्चात् संबंधित थाने को अपराधी सौंपा जा सकता है।

अपराध निरोध संबंधी – अनेक देशों भारत में भी ऐसे अपराध विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा सकती है जो साधारण वस्त्रों में अपराध संभावित क्षेत्रों व व्यक्तियों पर निगाह रखें। ये अपराधियों की मानसिकता समझने के कारण अपराध होने से पहले ही अपराधियों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के शस्त्रों में प्रशिक्षण देकर इनकी कार्य क्षमता को और बढ़ाया जा सकता है, तथा इनका योगदान पुलिस बल की कार्य क्षमता में निश्चित ही वृद्धि करेगा। वहीं निरोध पुलिस के गठन से पुलिस की भूमिका को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि अपराध का बीजारोपण बाल अपराधों व किशोर अपराधों से होता है, जिन पर नियंत्रण निरोध – पुलिस का कार्य होगा। इन शब्दों पर समाजकार्य व मनोविज्ञान में प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है जो आरंभिक स्तर पर ही अपराधी वृत्ति के बच्चों व युवाओं का उपचार करने में सहायक हों। पुलिस के इन प्रयासों से जनता में उसकी सकारात्मक व दोस्त की छवि बनेगी, की तरह जो जनता से उनके तारतम्य को बेहतर बनाने का कार्य करेगी।

तनाव मुक्ति संबंधी – पुलिस के कार्य की दुरूहता ही उसे तनावग्रस्त करने वाली होती है उस पर समस्याओं का सामना उसे जटिल मानसिक परिस्थितियों में डाल देता है। पहली समस्या है, पर्याप्त स्टाफ की कमी। नियमानुसार प्रत्येक एक किलोमीटर की बीट के ऊपर छह कांस्टेबल और तीन हेड कांस्टेबल की ड्यूटी होनी चाहिए, लेकिन इसका पालन होता नहीं दीखता। पुलिस की संख्या तो पर्याप्त भी नहीं है जबकि जनसंख्या की तीव्र गति उन पर कार्य के बोझ को निरंतर बढ़ा रही है। बढ़ती जनसंख्या से शिक्षित बेरोजगारों की एक फौज खड़ी हो गई है जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपराध कर्मों का सहारा लेती है व जिसके तौर तरीके अत्यंत आधुनिक होते हैं। ऐसे में एक–एक पुलिस कर्मी को दस लोगों का कार्य करना पड़ेगा तो कार्य क्षमता व दक्षता कहीं न कहीं अवश्य प्रभावित होगी। दूसरी समस्या है, राजनैतिक आर्थिक प्रभुत्व वाले लोगों का दबाव। इस प्रकार के दवाब पुलिस की स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्रवाई में बाधा डालकर उसे कुंठित व तनावग्रस्त बनाते हैं। कभी–कभी साधारण अपराधी की अधिक पिटाई या मौत की खबर सुनने में आती है, जिसका कारण प्रायः इसी प्रकार का तनाव व हताशा होती है। इस तरह की घटनाओं को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखकर उनका समाधान करना आवश्यक है न कि दंड देकर इति श्री कर लेना। तनाव मुक्ति हेतु अनावश्क दबाव से मुक्ति के प्रयास तो होने ही चाहिए साथ ही मानसिक विश्राम हेतु पुलिस के लिए भी अन्य विभागों की तरह नियमित अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका प्रभाव न केवल पुलिसकर्मी, बल्कि उनके परिवारों पर भी सकारात्मक दिखाई देगा। इसके अलावा व्यायाम की नियमित व्यवस्था व तत्पश्चात् पौष्टिक रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, जो समाज की सुरक्षा का दायित्व वहन करने वाले प्रहरियों को मानसिक व शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करे। तीसरी समस्या

ISSN 2581-9429 IJARSCT

IJARSCT
ISSN (Online) 2581-9429
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
Impact Factor: 7.301
Volume 3, Issue 19, May 2023

है, कार्मिक समस्या। पुलिस कर्मियों की शारीरिक क्षमता के साथ ही बौद्धिक दक्षता को भी महत्व दिया जाना चाहिए। वहीं प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नैतिक आचारों, कानून व्यवस्था, अनुशासन व जन सहभाग के महत्व से परिचित कराया जाना चाहिए।

साधन–सम्पन्नता संबंधी रू यह दुखद है कि भारत में पुलिस के पास खूंखार अपराधियों का सामना करने हेतु पर्याप्त मात्रा में हथियार, वाहन आदि की कमी है। जबकि अपराधी आजकल अत्याधुनिक महंगे हथियार व टेक्नीक का सहारा ले रहे हैं। उनसे निपटने के लिए पुलिस कर्मियों को नवीन टेकनीक का प्रशिक्षण व अत्याधुनिक साधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें कई बार अपराधियों से सीधी टक्कर लेनी पड़ती है, जिसमें उनकी जान भी जा सकती है, यदि उनके पास अपराधी की टक्कर के साधन न हों तो। इस मामले में किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं हो सकता। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की अत्यंत कमी महसूस की जा रही है। वहीं जासूस तंत्र/मुखबिरों पर खर्च बजट की कमी का सामना अक्सर थानों को करना पड़ता है। इस हेतु विशेष प्रयास करना अत्यावश्यक है। जनसंख्या व बेरोजगारी की बढ़त से जनित अपराधों की रोकथाम हेतु मुखबिर तंत्र को मजबूत करना ही होगा और इस हेतु आवश्यक बजट का प्रावधान प्राथमिक खर्चों में शामिल किया जाना चाहिए। जिससे समाज में हो रहे अपराधों की रोकथाम में सफलता मिल सके।

इस प्रकार से निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सुखद राज्य में शांति, सौहार्द्र और सुरक्षा की अबाध पूर्ति चाहते हैं, तो हमें पुलिस कर्मियों के मार्ग की बाधाओं को दूर करने हेतु त्वरित प्रयास करने ही होंगें। वस्तुतः तथ्य है कि तनाव रहित सजग प्रहरी ही पूर्ण–सुरक्षा का आश्वासन है। वहीं पुलिस को नम्र व शक्ति संपन्न बनाना होगा ताकि अपराध को मिटाकर भयमुक्त समाज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके, जो प्रभावशाली राज्य की प्रथम शर्त है। पुलिस के लिए अधिकार व संसाधनों का विस्तार अवश्य किया जाए, वहीं पुलिस को भी जनता के सेवक की भूमिका तथा कर्तव्यों के ईमानदार निर्वहन हेतु कृत संकल्प होना होगा, तभी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की पुष्टि संभव हो सकेगी।

संदर्भ ग्रंथ

[1]. डा. राजीव गुप्त – डिप्रेशन से मुक्ति
[2]. दैनिक नवभारत – 10–12–2005 .
[3]. दैनिक नवभारत–15–12–2005
[4]. नीरज दुबे – बढ़ता नक्सलवाद – पुलिस को चुनौती,
[5]. पुलिस विज्ञान, जुलाई–सितम्बर 2000